(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-840-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.03.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2013-14

गुलियां तनय बिजुवा अहीर
निवासी ग्राम भिलगुंवा तह0 राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. रामदास तनय मनका कोंदर
2. रामदयाल तनय मनका कोंदर
3. कलिया तनय मुल्ला कोंदर
4. पानाबाई पुत्री पुतुवा कोंदर
   निवासीगण ग्राम भिलगुंवा तह0 राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. मध्यप्रदेश शासन .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं
अनावेदक क्र. 5 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक 05/04/2018 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक

30.03.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 द्वारा ग्राम भिलगुंवा की नामांतरण पंजी क्र. 1 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जहां आवेदक द्वारा दिनांक 22.01.2015 को इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि यह आदेश सहमति के आधार पर पारित आदेश है, जिसकी अपील नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2015 द्वारा आवेदक का उक्त आवेदन अस्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन नामांतरण पंजी के आदेश व अभिलेख पर संलग्न तत्समय के राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का अवलोकन किए वगैर आदेश दिनांक 30.03.2015 पारित करने में त्रुटि की है, नामांतरण पंजी पर पारित आदेश में स्पष्ट लेख है कि पटवारी की भूल से आवेदक के पूर्वज की मृत्यु के बाद अनावेदकगणों के पूर्वजों का नाम दर्ज हो गया जिसे मनका कोंदर द्वारा स्वीकार किया गया तथा वह गुलिया तनय बिजुवा का नामांतरण कराने हेतु सहमत है व उक्त नामांतरण पंजी पर मनका कोंदर के सहमति का अंगूठा लगा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को सहमति का आदेश न मानकर आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा कोई विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, यह राजीनामा न होकर आदेश है, जो अपील योग्य है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण नामांतरण का है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर दिनांक 18-3-87 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई, अपील के प्रचलन के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति की गई, आवेदक की आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण को धारा 5 पर उभयपक्ष के तर्क हेतु नियत किया गया है। आवेदक द्वारा सहमति एवं राजीनामा संबंधी दस्तावेज पेश न करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को नामांतरण का मानते हुए आवेदक की आपत्ति को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण का निराकरण धारा 5 के बिंदु पर तथा गुण-दोषों पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का आधार न होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर